न्यायालय- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश- चतुर्थ/
विशेष न्यायाधीश, गिरोहबन्द अधि०, औरैया।

CNR-No-UPAU-010002482008

[J.O. Code-UP-6359]

उपस्थित- महेश चन्द्र वर्मा (एच०जे०एस०)

विशेष (गिरोहबन्द) सत्र परीक्षण सं०-277/2012

राज्य बनाम रामजी मिश्रा

मु०अ०सं०-390/2007

धारा-3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर अधि०

थाना-औरैया, जिला-औरैया ।

21.01.2020- पुकारा गया।

अभियुक्त जीतू की हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र मात्र आज के लिये स्वीकृत।

अभियुक्तगण रामजी मिश्रा, इसरार, छोटे उर्फ लूला को जारी गैर जमानतीय अधिपत्र-268ख/1 ता 268ख/3 अदम तामीला इस पृष्ठांकन के साथ वापस है कि अभियुक्तगण दबिश देने पर दस्तयाब नहीं हुये। अतः उक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध गैर जमानतीय अधिपत्र व अधिपत्र अन्तर्गत धारा-82 दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 का अधिपत्र जारी हो।

सम्बन्धित थानाध्यक्ष, औरैया उक्त अभियुक्तगण पर जारी उक्त अधिपत्रों का तामीला नियत तिथि के पूर्व सुनिश्चित करायें तथा अभियुक्तगण के गिरफ्तार न होने पर उनके समस्त चल व अचल सम्पत्तियों का विवरण अलग-अलग सूची के साथ नियत तिथि के पूर्व दाखिल करे।

उक्त अधिपत्रों के साथ आदेश की एक प्रति अनुपालन हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष , औरैया को प्रेषित हो।

समस्त अभियुक्तगण व्यक्तिगत रूप से नियत तिथि को पेश हो।

पत्रावली वास्ते आरोप **दिनांक-03.02.2020** को पेश हो।

(महेश चन्द्र वर्मा)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,चतुर्थ

विशेष न्यायाधीश/गिरोहबन्द अधि०,औरैया